द्वारा रिपोर्ट से अवगत कराया कि पटवारी हल्का जवानपुरा को भेजकर जांच कराने पर मौके पर विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होना जाहिर किया है। मौके पर भूमि खाली है तथा अतिक्रमी द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया है।

5. तहसीलदार विराटनगर से अपीलार्थी/गैर सायलान द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होते ही दिनांक 27/9/2017 की आदेशिका से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24/7/2017 को स्थिगित करते हुये आगामी तारीख तक क्रियान्विति रोकी जाने के आदेश दिये गये ।
6. बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल को सूनवायी का अवसर बिना प्रदान किये तथा एतरफा कार्यवाही करते हुए तथा बिना साक्ष्य लिए ही गैर सायल/अपीलार्थीगण के विरूद्व मु.नं. 42/2017 में निर्णय दिनांक 24/7/2017 पारित करते हुए आ.ख.नं. 1614/1 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ते से तत्काल प्रभाव से बेदखली के आदेश दिये गये तथा लगान का पचास गुना शारित से दंडित किया है तथा गैर सायलान/अपीलार्थी को पश्चात्वृती अतिक्रमी मानते हुए गैर सायलान की तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। जबकि अपीलान्ट की बिना साक्ष्य कराये ही सिविल कारावास के आदेश पारित किये है जो न्याय के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों की अनदेखी की है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट से विवादित भूमि मौके पर खाली होना अवगत कराया है तथा मौके पर अतिक्रमण नहीं होना जाहिर किया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।
7. तहसीलदार विराटनगर ने उक्त रास्ते की भूमि से अतिक्रमी द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भूमि खाली है तथा उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अपनी रिपोर्ट पत्रांक 767 दिनांक 22/9/2017 के द्वारा जाहिर किया है।
8. हमने वकील अपीलान्ट की बहस एवं तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत शाबत अतिक्रमण रिपोर्ट एवं पत्रावली के तथ्यों पर गौर कर अवलोकन किया ।
9. अपीलान्ट एवं उनके योग्य अधिवक्ता का कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 42/2017 ब उनवान सरकार बनाम बृजलाल उर्फ बृज मोहन मालीराम पुत्र बोदूराम बलाई अन्तर्गत धारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 24/7/2017 में अपीलान्ट/गैर सायल को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना साक्ष्य लिए प्रकरण में बेदखली पैनल्टी एवं तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित किये जाने के आदेश पारित किये है जो नैसर्गिग एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों की आदेशों की अनदेखी हुयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें। अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा पत्रावली के अवलोकन से गै.मु. रास्ता वाके मौजा जवानपुरा में अतिक्रमण होना साबित होता है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा अपने रिपोर्ट से जाहिर किया है कि मौके से अतिक्रमी अतिक्रमण हटा लिया है तथा भूमि खाली है। चूँकि अपीलान्टस/गैर सायलान को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीन माह के सिविल कारावास से दंडित किया है। इस चेतावनी के साथ सजा माफ की जाती है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। अपीलार्थीगण अनु. जाति समुदाय के व्यक्ति हैं, जो गरीब तव्क से सम्बन्ध रखते है। इसलिए नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्टस की तीन माह की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर मु.नं. 42/2017 में पारित आदेश दिनांक 24/7/2017 के शेष आदेश बेदखली, पैनल्टी आदि सभी यथावत रहेंगे।
10. निर्णय आज दिनांक 29.8.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)